



दि प्लास्टिक एक्स्पोर्ट प्रमोशन कौन्सिल
(भारत सरकार, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय, वाणिज्य विभाग द्वारा प्रायोजित)

THE PLASTICS EXPORT PROMOTION COUNCIL
(Sponsored By The Ministry Of Commerce & Industry, Deptt. Of Commerce, Government Of India)

संदर्भ संख्या:

प्लेक्स/सर्किल/166

19/05/2025

प्रति,

प्लेक्सकौन्सिल के सभी सदस्य/

सीओए सदस्य

प्रिय महोदय/महोदया,

विषय: बांग्लादेश से भारत में कुछ वस्तुओं के आयात पर बंदरगाह प्रतिबंध – आईटीसी (एचएस), 2022 अनुसूची 1 (आयात नीति) के अंतर्गत 'आयात नीति के संबंध में सामान्य नोट्स' के अंतर्गत एक नया पैरा 19 सम्मिलित करना

संदर्भ: अधिसूचना संख्या 07/2025-26 नई दिल्ली, दिनांक: 17 मई, 2025

हम आपको सूचित करना चाहते हैं कि विदेश व्यापार महानिदेशालय के डीओसी ने तत्काल प्रभाव से बांग्लादेश से भारत में कुछ वस्तुओं के आयात को विनियमित करने वाली आईटीसी (एचएस), 2022 अनुसूची 1 (आयात नीति) के तहत आयात नीति के संबंध में सामान्य नोट पेश किए हैं।

इसे वाणिज्य और उद्योग मंत्री के अनुमोदन से जारी किया गया है।

"19. बांग्लादेश से भारत में निम्नलिखित वस्तुओं के आयात को निम्नानुसार विनियमित किया जाएगा:

1. बांग्लादेश से माल के आयात पर बंदरगाह प्रतिबंध

Sl.	आइटम विवरण	आयात नीति/पोर्ट प्रतिबंध
-----	------------	--------------------------

No		
1	रेडीमेड गारमेंट्स के सभी HS कोड (RMG)	बांग्लादेश से आयात किसी भी भूमि बंदरगाह से अनुमति नहीं दी जाएगी; हालाँकि, यह केवल न्हावा शेवा और कोलकाता बंदरगाहों के माध्यम से अनुमति दी गई।
2	फल/फलों के स्वाद वाले और कार्बोनेटेड पेय	असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम में किसी भी एलसीएस/आईसीपी के माध्यम से बांग्लादेश से आयात की अनुमति नहीं दी जाएगी; और पश्चिम बंगाल में एलसीएस चंगराबांधा और फुलबारी
3	प्रसंस्कृत खाद्य पदार्थ (बेक्ड सामान, स्नैक्स, चिप्स और कन्फेक्शनरी)	
4	कपास और कपास धागा अपशिष्ट	
5	प्लास्टिक और पीवीसी से बने तैयार खाद्य पदार्थ, सिवाय पिगमेंट, डाई, प्लास्टिसाइज़र और कणिकाओं के जो अपने उद्योगों के लिए इनपुट का काम करते हैं।	
6	लकड़ी का फर्नीचर	

2. पैरा 1 में उल्लिखित उपरोक्त प्रतिबंध बांग्लादेश से भारत में मछली, एलपीजी, खाद्य तेल और कुचल पत्थर के आयात पर लागू नहीं होंगे।

3. पैरा 1 में उल्लिखित उपरोक्त प्रतिबंध भारत से होकर नेपाल/भूटान को बांग्लादेश से होने वाले निर्यात पर भी लागू नहीं होंगे।

अधिक जानकारी के लिए यहां [क्लिक करें](#).

सादर,

भारती पारवे

उप निदेशक – व्यापार एवं नीति

प्लास्टिक निर्यात संवर्धन परिषद